संख्या:-05/2026/43ई-2/तेरह-2026-1586807

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 23 जनवरी, 2026

विषयः-मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर द्वारा 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के केवल ग्रेन के प्लान्ट के ग्रेन साइलो/मिक्सिंग/स्लरी टैंक/लिक्विफिकेशन/फर्मेन्टेशन टैंक आदि का इस्तेमाल करने व ग्रेन वाश को मोलासिस बेस्ड 120 कि.ली. प्रतिदिन के शीरा आधारित प्लान्ट के ई.एन.ए. कॉलम में डिस्टिलेशन करके ग्रेन ई.एन.ए. उत्पादन करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-82/दो-प्रा.डी.-33/धामपुर आसवनी बिजनौर, दिनांक 13-01-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 13-01-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर द्वारा 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के केवल ग्रेन प्लान्ट के ग्रेन साइलो/मिक्सिंग/स्लरी टैंक/लिक्विफिकेशन/फर्मेन्टेशन टैंक आदि का इस्तेमाल करने व ग्रेन वाश को मोलासिस बेस्ड 120 कि.ली. प्रतिदिन के शीरा आधारित प्लान्ट के ई.एन.ए. कॉलम में डिस्टिलेशन करके ग्रेन ई.एन.ए. उत्पादन करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3 (4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) शासनादेश संख्या-864ई-2/तेरह-2023-107/2013, दिनॉक 10.05.2023 द्वारा प्रदेश में स्थित आसवनियों में अलग-अलग प्लाण्ट एवं संचय व्यवस्था होने पर अलग-अलग फीड से एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

साथ अल्कोहल (एथनाल) उत्पादन किये जाने हेतु गाइड लाइन निर्धारित की गयी है, का आसवक द्वारा अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा आबकारी विभाग के ई.एन.ए. निर्माण हेतु निर्दिष्ट गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त गाइडलाइन आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा इकाई को उपलब्ध करा दी जायेंगी।

(6) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(7) प्रदेश में स्थित आसवनियों में आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09-12-2024 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(8) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(9) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(10) शासनादेश संख्या-33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013, दिनॉक 26.03.2021 द्वारा गैर शीरा पदार्थ (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटीरियल से एथनाल उत्पादन किये जाने हेतु गाइड लाइन निर्धारित की गयी है, का आसवक द्वारा अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) इकाई द्वारा 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लान्ट से 120 कि.ली. शीरा आधारित प्लान्ट के ई.एन.ए. कॉलम में डिस्टिलेशन करके ग्रेन ई.एन.ए. उत्पादन करने की अवधि में शीरा आधारित ई.एन.ए. कॉलम का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जा सकेगा, के संबंध में समस्त अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

(12) इकाई द्वारा ग्रेन ई.एन.ए. का उत्पादन करने के उपरान्त प्रत्येक आउट टर्न के नमूने का परीक्षण आबकारी विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशाला से कराया जायेगा तथा उक्त ई.एन.ए. से पेय मदिरा के निर्माण में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।